सत्यमेव जयते

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं

तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश, शिमला

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश, शिमला

अनुक्रमणिका		
विवरण	परिच्छेद्	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		**iv**
विहंगावलोकन		**v-vi**
भाग-क पंचायती राज संस्थाऐं		
अध्याय-1 पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा		
पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.3	1
वित्तीय रूपरेखा	1.4	4
पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली	1.5	5
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.6	6
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	1.7	6
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.8	7
अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम		
राजस्व	2.1	11
निधियों का अवरोधन	2.2	12
संदेहास्पद तैनातियां	2.3	13
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन	2.4	14
भाग-ख शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय-3 शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा		
शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि	3.1	15
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	15
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	15
वित्तीय रूपरेखा	3.4	16
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.5	18
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	3.6	18
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.7	18

अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
राजस्व	4.1	21
निधियों का अवरोधन	4.2	22
परिचालक की दायिता को सुनिश्चित न किया जाना	4.3	23
जाली प्रयुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना	4.4	23

परिशिष्ट		
विवरण	**परिशिष्ट संख्या**	**पृष्ठ संख्या**
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र–2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा की गई पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विवरण	1	25
ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना	2	28
ग्राम पंचायतों में बैंक पास बुकों और रोकड़ बही के मध्य के अंतर का मिलान न किया जाना	3	30
अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण 13वें वित्त आयोग के अधीन निधियों का अवरोधन	4	32
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्रारम्भ न होने के कारण निधियों का अवरोधन	5	36
गृह कर की वसूली न होना	6	37
दुकानों का बकाया किराया	7	39
ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन शुल्क की वसूली न होना	8	40
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत भुगतान अवमुक्त करने में विलम्ब	9	41
शहरी स्थानीय निकायों को संस्वीकृत पद तथा पदासीन कर्मी	10	42
वर्ष 2011–12 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों एवं वास्तविक व्यय का विवरण	11	44
शहरी स्थानीय निकायों में बैंक पासबुक के साथ रोकड़ बही के अंतर का मिलान न होना	12	47
बकाया गृहकर	13	48
दुकानों/बूथों/स्टॉलों के किराये की वसूली न किया जाना	14	49

प्रस्तावना

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा-शर्त अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्बद्ध विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2014-15 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में भी संज्ञान में आए लेकिन विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।.

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है तथा इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय 1 तथा 2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय 3 एवं 4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया गया है:

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

73वें संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी निरंतरता में संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए थे, तथापि पंचायती राज संस्थाओं को निधियां एवं पदाधिकारी हस्तांतरित किए जाने शेष हैं।

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 2014-15 के दौरान सात जिला परिषदों, 17 पंचायत समितियों तथा 76 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच से (क) स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका आदि पंजिकाओं को न बनाना, (ख) स्वयं के संसाधनों तथा सहायता अनुदान/ऋण के लेखे उचित ढंग से तैयार न करना, (ग) रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य मिलान न होना, (घ) प्रत्यक्ष सत्यापन न करना (ड़) बकाया अग्रिम राशियों व (च) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई निधियों का अवरोधन उजागर हुआ।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

बावन ग्राम पंचायतों ने ₹ 18.93 लाख का गृह कर वसूल नहीं किया। अठारह पंचायती राज संस्थाएं दुकानों के किराया प्रभारों की ₹ 19.37 लाख की राशि वसूल करने में विफल रहीं। 32 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के ₹ 6.98 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। पंचायत समिति, गोपालपुर ने बजट आकलन तैयार/पारित करवाए बिना ₹ 2.15 करोड़ व्यय कर दिए। छः पंचायती राज संस्थाओं में कार्य प्रारम्भ न किए जाने के कारण ₹ 40.81 लाख की राशि की निधियां अव्ययित रहीं। जिला परिषद, चम्बा ने नियत अवधि में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 0.64 करोड़ का अवरोधन हुआ। लघु सिंचाई स्कीमों के निमित्त रखी गई ₹ 6.51 लाख की निधियां व्यक्तिगत बही खातों में अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

आठ ग्राम पंचायतों द्वारा एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों पर उन्हीं श्रमिकों को तैनात किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, श्रम भुगतान जारी करने में हुए विलंब से प्रभावित हुई।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में एक नगर निगम, 30 नगर परिषदें तथा 21 नगर पंचायतें हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों तथा कर्मचारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित हैं, तथापि, शहरी स्थानीय निकायों को निधियां एवं कर्मचारी हस्तांतरित किये जाने शेष हैं। राज्य सरकार ने लेखाओं के सत्यापन हेतु अधिनियमों/नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया है। 2014-15 के दौरान संचालित की गई एक नगर निगम, छः नगर परिषदों तथा सात नगर पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच ने (क) लेखाओं के असत्यापन तथा (ख) बजट आकलनों को वास्तविक रूप से तैयार न करने को दर्शाया है।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अप्रभावी अनुश्रवण के कारण 11 शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर के ₹ 4.04 करोड़ का राजस्व बकाया पड़ा रहा। तेरह शहरी स्थानीय निकाय सम्बंधित आवंटितियों से ₹ 1.86 करोड़ की राशि का दुकानों का किराया वसूल करने में विफल रहे। सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों को वसूल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 18.14 लाख के राजस्व की हानि हुई। नगर परिषद बद्दी नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले उपभोक्ताओं से ₹ 29.18 लाख का विद्युत कर वसूल करने में विफल रही। छः शहरी स्थानीय निकायों ने विकास कार्य आरम्भ न किए जाने के कारण ₹ 2.19 करोड़ की निधियां प्रयुक्त नहीं कीं। नगर परिषद डल्हौजी ने पार्किंग का निर्माण शुरू न करने के कारण ₹ 43.44 लाख की निधियों का उपयोग नहीं किया। नगर निगम शिमला ने परियोजना लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अंतर्गत बीमा के माध्यम से ठोस कूड़ा प्रबंधन परियोजना के ऑपरेटर पर ₹ 5 करोड़ की देयता निर्धारित नहीं की थी। नगर परिषद परवाणू द्वारा निदेशक, शहरी विकास, शिमला को निधियों की वास्तविक प्रयुक्ति किए बिना ₹ 3.27 करोड़ का गलत प्रयुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(अध्याय- 4)

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

1.1 पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह तथा एक समान ढांचे, नियमित चुनावों की पद्धति स्थापित की। इसके अनुगमन में राज्यों से इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य एवं उत्तरदायित्व दिए जाने की अपेक्षा थी जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम करें। विशेषतया पंचायती राज संस्थाओं से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण और स्कीमों के कार्यान्वयन की अपेक्षा की गई थी। संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध समस्त 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए थे तथापि विभागों द्वारा निधियां नहीं सौंपी जा रही थी। निदेशक, पंचायती राज ने बताया (सितम्बर 2015) कि पंचायती राज संस्थाओं को 15 सम्बद्ध विभागों के कार्य सौंपे गए है लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को तदनुरूपी निधियां तथा कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और इन संस्थाओं को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, निर्माण, कराधान और एवं भत्ते) नियमावली, 2002 तैयार किये। संयुक्त निदेशक (पंचायती राज संस्थाएं) ने बताया (दिसम्बर 2015) कि राज्य सरकार ने मार्च 2011 से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथाविहित आदर्श लेखाकरण संरचना अपनाई है जो कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से पी.आर.आई.ए. सॉफ्टवेयर के नाम से विकसित की गई है।

1.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, पंचायती राज विभाग के लेखापरीक्षा संभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 118 के अनुसार राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां और 3243 ग्राम पंचायतें हैं। नीचे दिया गया चार्ट राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे को दिखाता है:

संगठनात्मक ढांचा

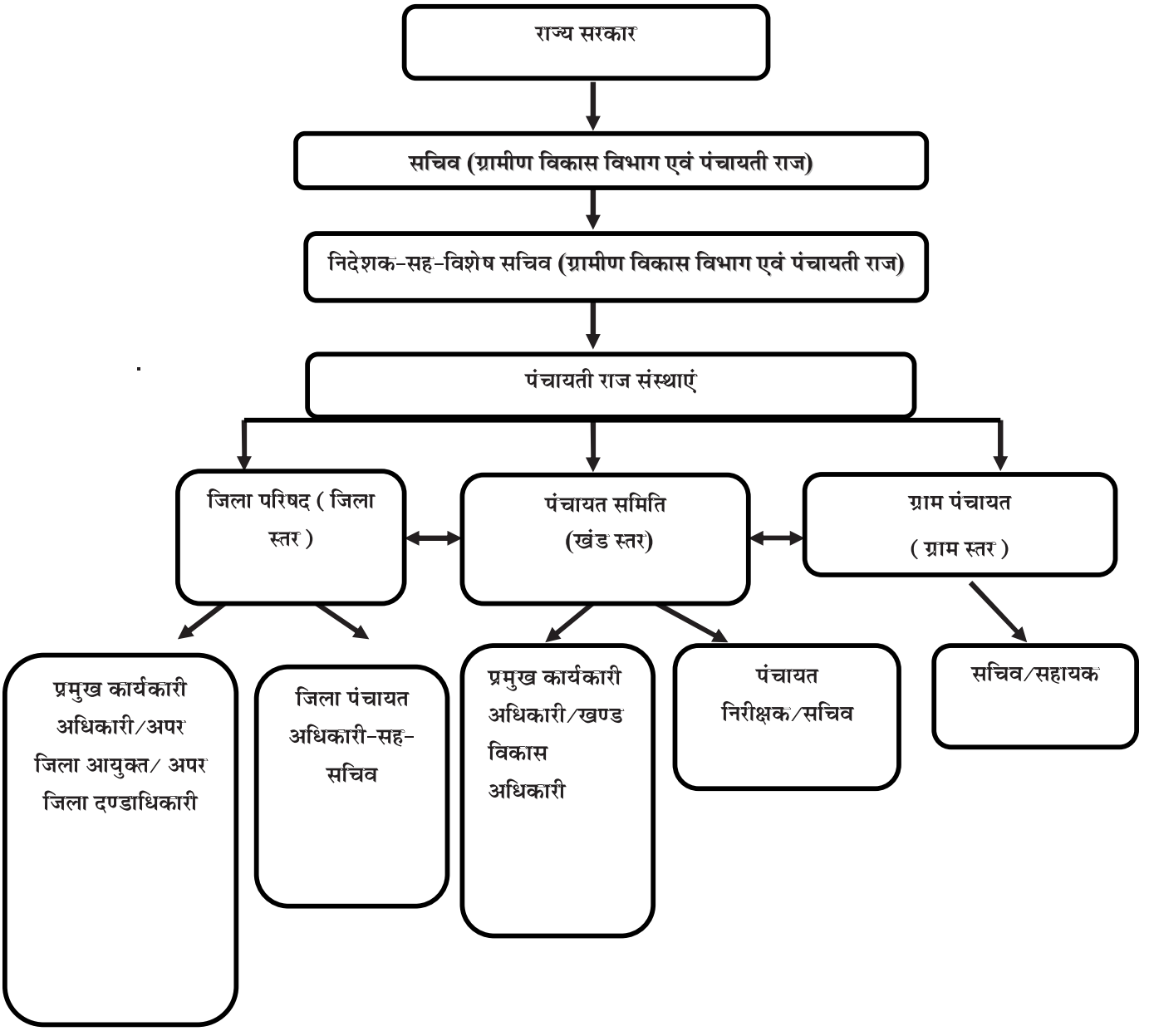

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्वाचित सदस्य होते हैं और क्रमश: जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की अध्यक्षता करते हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों से विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए जिला परिषदों की मासिक बैठकों में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है।

1.3.1 स्थायी समितियां

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्थायी समितियां और उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व **तालिका 1** में दिये गये हैं:

तालिका-1
स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला परिषद	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों, संचार, भवन आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजना समिति	जिला परिषद के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं अन्य हितों का निष्पादन।
		शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति	राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत जिले में शिक्षा आयोजना का उत्तरदायित्व।
		कृषि और उद्योग समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, सहकारिता तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
पंचायत समिति	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों और संचार से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		वित्त, लेखापरीक्षा और आयोजना समिति	पंचायत समिति के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों का निष्पादन।
ग्राम पंचायत	*प्रधान या उप-प्रधान*	निर्माण कार्य समिति	ग्राम पंचायतों के समस्त विकासात्मक (निर्माण) कार्य इस समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
		बजट समिति	ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना और इसे सचिव को प्रस्तुत करना।

1.3.2 स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत प्रबंध

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ है। विभिन्न संवर्गों के 4,944 संस्वीकृत पदों में से मार्च 2015 तक 4,582 कर्मी कार्यरत थे तथा 362[1] पद रिक्त थे।

ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत *चौकीदारों* की नियुक्ति की जाती है तथा राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों (पंचायत निधि से) क्रमश: ₹ 1,850/- तथा ₹ 150/- प्रति माह की दर पर मानदेय उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों ने पंचायत चौकीदार नियुक्त किये हैं।

[1] कनिष्ठ अभियंता: 16, सहायक अभियंता: एक, पंचायत सहायक: 345

1.4 वित्तीय रूपरेखा

1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

निधि प्रवाहः पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्त्रोत और अभिरक्षण

अनुरक्षण/विकास उद्देश्यों और स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के स्त्रोत का आधार राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान और केन्द्र सरकार अनुदान हैं। पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती हैं।

यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय व राज्य अनुदान प्रयुक्त किये जाते हैं, तथापि पंचायती राज संस्थाओं की अपनी प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई स्कीमों/निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण स्कीमों के लिए निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 2** में दिया गया है:

तालिका-2
प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्त्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	भारत सरकार और राज्य सरकार मनरेगा निधियों का अपना-अपना अंश राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में हस्तांतरित करवाते हैं जो राज्य लेखा से बाहर होता है। उपायुक्त, राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी इस राज्य रोजगार गारंटी निधि का अभिरक्षक होता है और जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को निधियों के आगे हस्तांतरण हेतु प्राधिकृत है।
2.	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम है जिसका निधियन भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में लागत को बांटकर किया जाता है। नोडल मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय)/ विभाग (भू-संसाधन विभाग) राज्य के (भौतिक एवं वित्तीय) निर्धारित मापदण्ड तथा विगत निष्पादन अर्थात अव्ययित शेष, बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण परियोजनाओं में से पूर्ण परियोजनाओं की प्रतिशतता, इत्यादि उन स्कीमों को छोड़कर जहां राज्यों के पास जलागम तथा अन्य स्कीमों के मध्य निधियों का आवंटन लचीला है को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच परियोजनाओं हेतु बजटीय परिव्यय का आवंटन करता है। राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए जिलों को निधियों का आवंटन करते हैं।
3.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	इस योजना के अंतर्गत केन्द्र, राज्य एवं समुदाय के मध्य निधियां क्रमशः 60:30:10 के अनुपात में विभाजित होती हैं। भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति पर उसे समान अंश के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अवमुक्त कर दिया जाता है तथापि समुदाय का अंशदान पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से, 13वें वित्त आयोग के अनुदानों से अथवा राज्य की किसी अन्य निधि, जिसे राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया हो, से किया जा सकता है।
4.	इंदिरा आवास योजना	इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जोकि भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत विभाजन के आधार पर वित्तपोषित है। निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को हस्तांतरित की जाती हैं जो इन निधियों के अभिरक्षक हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियां खंड विकास अधिकारियों को अवमुक्त करते हैं और खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों को। आगे ग्राम पंचायतें निधियों को सीधे लाभार्थियों के खातों में दो किस्तों में हस्तांतरित करती हैं। दूसरी किस्त लिंटल स्तर तक निर्माण होने के बाद जारी की जाती है।
5.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम है जो सभी राज्यों में कार्यान्वित है। परियोजना की कुल लागत केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में बांटी जानी है।

1.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों का ब्यौरा **तालिका 3** में दिया गया है:

तालिका-3

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
स्व-राजस्व	7.81	31.52	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
राज्य सरकार से अनुदान	71.65	72.88	70.40	81.55	142.91
केन्द्र सरकार से अनुदान	82.79	113.15	131.16	202.07	167.04
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए भारत सरकार के अनुदान	818.56	735.20	488.57	163.68	511.86
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार के अनुदान	33.24	22.20	15.80	15.97	17.99
अन्य प्राप्तियाँ	3.60	1.00	1.00	0.67	0.25
योग	**1017.65**	**975.95**	**706.93**	**463.94**	**840.05**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के स्व-राजस्व से सम्बंधित आंकड़े निदेशालय द्वारा वर्ष 2012-13 से अनुरक्षित नहीं किये गए हैं। विभाग ने बताया (अप्रैल 2016) कि पंचायती राज संस्थाओं के स्व-राजस्व से सम्बंधित आंकड़े 2012-15 के दौरान संकलित नहीं किये गए हैं क्योंकि अब इनका संकलन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तर यह व्याख्या नहीं करता है कि निदेशालय ने 2012-15 के दौरान कथित विभाग से आंकड़े क्यों नहीं मांगे थे।

1.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्ति एवं संयोजन

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों के अनुप्रयोग का विवरण **तालिका 4** में दिया गया है:

तालिका-4

क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अनुदानों से व्यय	154.44	187.02	202.52	284.29	244.74
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर व्यय	594.89	591.35	544.51	161.86	547.24
राज्य स्कीमों पर व्यय	32.18	21.49	16.26	14.31	17.65
योग	**781.51**	**799.86**	**763.29**	**460.46**	**809.63**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश

1.5 पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली

पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में रखती हैं। ग्राम पंचायतों के लेखे, निदेशक-एवं-विशेष सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी-एवं-खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त पंचायत सहायक द्वारा बनाए जाते हैं। पंचायत समितियों के मामले में विकास खंडों के लेखाकार लेखे अनुरक्षित करते हैं। जिला परिषदों के लेखे जिला पंचायत अधिकारी-एवं-सचिव, जिला परिषद के कार्यालय के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि

पंचायती राज संस्थाओं के लेखे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 में लेखाओं के प्रमाणन हेतु कोई प्रावधान न होने के कारण प्रमाणित नहीं किए जाते।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर बनाये गये लेखाओं पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु आदर्श लेखाकरण संरचना की अनुशंसा की । राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श लेखाकरण संरचना के अनुसार लेखाओं के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पी0आर0आई0ए0सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (अगस्त 2012)। मार्च 2015 तक सभी 12 जिला परिषदों ने ऑनलाईन वाऊचर प्रविष्टियां प्रारम्भ कर दी है जबकि 12 जिला परिषदों में से मात्र पांच, 77 पंचायत समितियों में से 44 तथा 3,243 ग्राम पंचायतों में से 1,691 ने अपने लेखे पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अनुरक्षित किये हैं। विभाग ने सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं के अनुरक्षण न किए जाने के लिए स्टॉफ की कमी तथा कनेक्टिविटि मामलों को उत्तरदायी ठहराया।

नमूना जांच के दौरान यह देखने में आया कि नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किये गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। नीचे तालिका-5 में यथा प्रदर्शित आंकड़ो के मध्य भारी अंतर दर्शाता है कि निदेशालय द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

तालिका-5

2014-15 के दौरान पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किये गए एवं लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर

(₹ लाख)

ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आपूरित आंकड़े		पी0आर0आई0ए0सॉफ्ट पर अपलोड किये गए आंकड़े	
			प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
टब्बा	ऊना	ऊना	18.53	11.66	27.21	26.02
काला अम्ब	नाहन	सिरमौर	48.40	47.40	50.25	50.76
माजरा	पांवटा साहब	सिरमौर	22.17	17.40	19.46	16.44
नग्गर	नग्गर	कुल्लू	70.51	40.18	72.22	54.42

स्रोत: नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं लेखापरीक्षा द्वारा पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट से संकलित आंकड़े

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2014-15 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा सात जिला परिषदों (12 में से), 17 पंचायत समितियों (77 में से) और 76 ग्राम पंचायतों (3,243 में से) के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी **(परिशिष्ट-1)**। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर निम्नॉकित परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.7 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं क्रिया विधि, विवरण, इत्यादि, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के सम्बंध में लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम-2007 की धारा 152-154 के अनुसार प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अक्तूबर 2014 में पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा स्टॉफ के दो समूहों

के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों को सामान्य सिद्धांत, लेखापरीक्षा के मौलिक सिद्धान्तों, वित्तीय विवरण की जांच, बैंक मिलान, रोकड़ बही के रख-रखाव, किये गए निर्माण कार्यों के प्रत्यक्ष सत्यापन, आदि से अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के 44 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समीक्षा की गई तथा तदनुसार अनुवर्ती सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिये गए।

1.8 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कुशल तथा प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्धता तथा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताएं हैं। अनुपालना तथा नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील हैं तो पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हितसाधकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त इसके आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नाँकित विसंगतियां पाई गईं।

1.8.1 पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा स्टॉफ की कमी के कारण पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के उपधारा (1) में यह भी प्रावधान है कि आय और व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण में एक अलग और स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अभिकरण होगा। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अंतर्गत लेखापरीक्षा संभाग द्वारा संचालित की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति **तालिका 6** में दी गई है:

तालिका-6
आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

संस्था का नाम	कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु कार्य योजना में शामिल इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित न की गई इकाइयों की संख्या	कमी का प्रतिशत
पंचायत समितियां	77	38	30	8	21
ग्राम पंचायत	3,243	1,531	1,717	---	---

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज संस्था

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा संभाग ने 2012-13 से किसी भी जिला परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई थी। उप निदेशक, पंचायती राज संस्था ने बताया (मई 2015) कि जून 2012 से उप नियंत्रक का पद रिक्त होने के कारण जिला परिषदों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा सकी तथापि तथ्य यह है कि राज्य में वर्ष के दौरान 12 जिला परिषदें लेखापरीक्षा हेतु शेष रहीं।

1.8.2 पंजिकाओं का रख-रखाव न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 31 में नियत है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 में वर्णित महत्वपूर्ण अभिलेखों, पंजिकाओं, प्रपत्रों आदि का रख-रखाव करेगी।

यह पाया गया कि 2014-15 के दौरान 35 ग्राम पंचायतों (नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों का 46 *प्रतिशत*) में महत्त्वपूर्ण पंजिकाएं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका आदि नहीं बनाए गये थे **(परिशिष्ट-2)**। अभिलेखों का रख-रखाव न होने के कारण लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देनों की परिशुद्धता का पता नहीं लगाया जा सकता था। सम्बद्ध पंचायत सचिवों ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2014-मार्च 2015) और भविष्य में इन अभिलेखों का रख-रखाव करने का आश्वासन दिया।

1.8.3 अपने संसाधनों से आय और सहायता अनुदान/ऋणों के लेखाओं का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने संसाधनों से (लेखा 'क' में) और सहायता अनुदान विकास कार्यों अथवा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवंटित निधियों, ऋणों, करों/शुल्क/उपकर के भाग से आय तथा अन्य आय (लेखा 'ख' में) के पृथक्-पृथक् लेखे रखे जाने अपेक्षित हैं।

यह पाया गया कि 16 पंचायती राज संस्थाओं[2] (एक पंचायत समिति तथा 15 ग्राम पंचायतें) में लेखे निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाए गये थे और समस्त लेन-देन एक लेखे के माध्यम से किया जा रहा था जो पूर्वोक्त नियम का उल्लंघन था और जिसके कारण अपने संसाधनों से आय और प्राप्त किए गए सहायता अनुदान/ऋणों की परिशुद्धता प्रमाणित नहीं की जा सकती थी।

1.8.4 बैंक मिलान विवरण को तैयार करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 15(10) (ख) प्रावधान करता है कि रोकड़ बही और बैंक खातों के शेष का मिलान प्रत्येक मास किया जाना अपेक्षित है। यदि इनमें कोई अन्तर है तो उसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण रोकड़ बही की पाद टिप्पणी में किया जाएगा।

तथापि यह पाया गया कि 13 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वर्ष 2013-14 के अंत में रोकड़ बहियों और पास बुकों के मध्य ₹7.81 करोड़ के अंतर **(परिशिष्ट-3)** का मिलान नहीं किया गया था। बैंक समाधान विवरणियों के अभाव में इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखे की प्रामाणिकता अभिनिश्चित नहीं की जा सकती थी। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (जून 2014-मार्च 2015) कि अंतर का मिलान कर लिया जाएगा।

1.8.5 प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 73(1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के मामले में प्रधान द्वारा और यथास्थिति पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के मामले में सम्बंधित सचिव द्वारा न्यूनतम छः मास में एक बार तथा

---

[2] पंचायत समिति: धर्मशाला, ग्राम पंचायत: अम्बोटा, निचला अर्नियाला, ऊपरी अर्नियाला, सलोह, वहडाला, बरांडा, महालकडछड़ी, शेखपुरा, भडेच, भालोह, गोहारमा, उद्यपुर, कोट, समैला, लिप्पा।

अपरिवर्तनीय रूप से प्रत्येक वर्ष अप्रैल में समस्त भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन का परिणाम अभिलिखित किया जाएगा। अप्रैल में सत्यापन के दौरान, प्रत्येक मद की दशा भंडार पंजिका में इसके सम्मुख अंकित की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 16 पंचायती राज संस्थाओं[3] (एक जिला परिषद, दो पंचायत समितियां तथा 13 ग्राम पंचायतें) में भण्डार/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। परिणामत:, लेखापरीक्षा में भण्डार/स्टॉक के प्रत्यक्ष अस्तित्व का सत्यापन नहीं किया जा सकता था। उत्तर में सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2014–मार्च 2015) कि भण्डार/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन शीघ्र ही किया जाएगा।

1.8.6 बकाया अग्रिम राशियाँ

तीन ग्राम पंचायतों ने ₹ 9.97 लाख के बकाया अग्रिम की वसूली/समायोजन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली 2002 का नियम 30 प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायत की गतिविधियों को चलाने के लिए ग्राम पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी को दी गई किसी भी अग्रिम राशि का अभिलेख अस्थायी अग्रिम पंजिका में रखा जायेगा और ऐसी अग्रिम राशियों का समायोजन नियमित रूप से तथा शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

तीन ग्राम पंचायतों[4] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2006–2011 के दौरान विविध पदाधिकारियों जैसे कि प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्यों तथा अनिर्वाचित अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए संस्वीकृत किए गए ₹ 9.97 लाख के अग्रिम दिसम्बर 2014 तक असमायोजित रहे। इन अग्रिमों की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे और ये पांच से 14 वर्षों तक बकाया पड़े रहे। बकाया अग्रिमों की वसूली/समायोजन हेतु प्रभावी कार्रवाई के अभाव में ₹ 9.97 लाख का दुर्विनियोजन हो सकता है। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के सचिवों ने बताया (जुलाई 2014–जनवरी 2015) कि इन अग्रिम राशियों की वसूली के लिए प्रयास किए जायेंगे।

1.8.7 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

84 पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 39.33 करोड़ की निधियां अपूर्ण निर्माण कार्यों तथा निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहीं।

13वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किया गया अनुदान राज्य के खाते में इसके क्रेडिट की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना था और इसके प्रति अनुमोदित निर्माण कार्यों को उनकी संस्वीकृति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था।

(i) 2014–15 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त ₹ 6.60 करोड़ में से जिला परिषद, ऊना ने उपर्युक्त अवधि के दौरान मात्र ₹ 2.61 करोड़ अवमुक्त/प्रयुक्त किए थे और जिला परिषद के पास ₹ 3.99 करोड़ (60 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त पड़े रहे, जिससे लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। सचिव ने बताया (फरवरी 2015) कि जिला परिषद के सदस्यों द्वारा कार्य योजनाओं को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अनुदान अवमुक्त नहीं किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों की प्रारम्भिक मदें समय पर पूर्ण की जानी चाहिए थी।

(ii) नमूना जांच की गई 73 पंचायती राज संस्थाओं में 2010–15 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त ₹ 82.41 करोड़ की राशि के प्रति ₹ 47.84 करोड़ का व्यय किया गया था और मार्च 2015 तक ₹ 34.57 करोड़ (42 *प्रतिशत*) की शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी **(परिशिष्ट-4)** । सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी

---

3 जिला परिषद: कुल्लू; पंचायत समितियां: धर्मशाला व रामपुर; ग्राम पंचायत:भड़ाच, भालोह, भारती, बिझड़ी, डांड,फरनोल, गोहारमा, खुन्नी पनोली, मणीकर्ण, रोपा, सलोह व सपरोह।

4 ग्राम पंचायत बगलटी, ननखडी खण्ड, जिला शिमला: ₹ 3.04 लाख, ग्राम पंचायत दयोठी मझगांव, राजगढ़ खण्ड, जिला सिरमौर: ₹ 0.66 लाख तथा ग्राम पंचायत भडाच, ननखडी खण्ड, जिला शिमला: ₹ 6.27 लाख

अधिकारियों/सचिवों ने बताया कि शीघ्र ही निधियों को अवमुक्त करने हेतु प्रयास किए जायेंगे। अत: उपलब्ध निधियों का निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग करने में विफलता के कारण निधियों का अवरोधन हुआ और लाभार्थी अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहे।

(iii) नमूना जांच की गई 10 पंचायती राज संस्थाओं में 2010-14 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत 168 निर्माण कार्य (प्राक्कलित लागत: ₹ 0.77 करोड़) संहिता सम्बंधी औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण मार्च 2014 **(परिशिष्ट-5)** तक निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किए गए थे। अत: मार्च 2014 तक ₹ 0.77 करोड़ प्रत्यक्षत: पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरुद्ध रहे। सम्बद्ध पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (नवम्बर 2014-फरवरी 2015) कि भू-दस्तावेजों/अनापत्ति प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य निष्पादनार्थ आरम्भ नहीं किए जा सके। उत्तर सर्कसंगत नहीं है क्योंकि संहिता सम्बंधी औपचारिकताएं निधियों की स्वीकृति से पूर्व पूर्ण कर लेनी चाहिए थीं।

1.8.8 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय

2010-15 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को 13,312 परिच्छेदों से युक्त 2006 निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये थे। इनमें से मार्च 2015 तक दो निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 195 परिच्छेदों का निपटान किया गया था तथा 2004 निरीक्षण प्रतिवेदन और 13,117 परिच्छेद बकाया थे। ब्यौरा **तालिका 7** में दिया गया है**:**

तालिका-7
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

(संख्या)

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये जाने का वर्ष	31 मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		जमा (वर्ष के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेदों की संख्या)		योग		2014-15 के दौरान निपटान किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2015 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		नि0प्र0	परिच्छेद	नि0प्र0	परिच्छेद	नि0प्र0	परिच्छेद	नि0प्र0	परिच्छेद	नि0प्र0	परिच्छेद
1.	2010-11 तक	1515	9677	--	--	1515	9677	2	145	1513	9532
2.	2011-12	126	993	--	--	126	993	0	19	126	974
3.	2012-13	117	897	--	--	117	897	0	14	117	883
4.	2013-14	148	1019			148	1019	0	17	148	1002
5.	2014-15	--	--	100	726	100	726	--	--	100	726
	योग	**1906**	**12586**	**100**	**726**	**2006**	**13312**	**2**	**195**	**2004**	**13117**

परिच्छेदों के समायोजन का प्रकरण निदेशक (पंचायती राज संस्थाएं) के साथ 12 नवम्बर 2015 को आयोजित त्रै-मासिक बैठक में चर्चित किया गया था। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना न करने का द्योतक है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2016 में सरकार को प्रेषित किये गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अप्रैल 2016)।

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान संचालित की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1 राजस्व

2.1.1 गृह कर की वसूली न होना

बावन ग्राम पंचायतों द्वारा ₹ 18.93 लाख के गृह कर की वसूली नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि सचिव, ग्राम पंचायत यह देखेगा कि समस्त राजस्व ठीक से, अविलम्ब और नियमित रूप से निर्धारित, वसूल तथा सम्बंधित पंचायत के खाते में जमा करवाए जाएँ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 52 ग्राम पंचायतों में 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 18.93 लाख की राशि का गृह कर मार्च 2015 तक वसूल नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-6)**। यह ग्राम पंचायतों की ओर से अप्रभावशाली अनुश्रवण का द्योतक था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 में निहित प्रावधानों के अनुरूप गृह कर का भुगतान न करने के लिए चूककर्त्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जून 2014-मार्च 2015) कि बकाया गृह कर की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.1.2 बकाया किराया

अठारह पंचायती राज संस्थाएं ₹ 19.37 लाख की राशि का दुकानों का किराया वसूल करने में विफल रहीं।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानों का रख रखाव कर रही थी और इन्हें मासिक किराया आधार पर जनता को किराये पर दिया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 18 पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2015 तक 103 दुकानों के किराये की ₹ 19.37 लाख[5] की राशि 2005-06 से 2014-15 तक बकाया थी **(परिशिष्ट-7)**। इससे इंगित हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किराया संग्रहण की प्रक्रिया पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (सितम्बर 2014-जनवरी 2015) कि चूककर्त्ताओं को बकाया किराया तत्काल जमा करवाने के लिए नोटिस दे दिया गया था, अन्यथा दुकानों को खाली करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

[5] जिला परिषद: ₹ 4.40 लाख, पंचायत समितियां: ₹ 7.55लाख तथा ग्राम पंचायतें: ₹ 7.42 लाख

2.1.3 मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन हेतु शुल्क वसूल न किया जाना

32 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के ₹ 6.98 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल संचार टॉवरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 4,000 प्रति टॉवर की दर से शुल्क का उद्ग्रहण करने तथा प्रतिष्ठापित टावरों पर प्रति टॉवर ₹ 2,000 की दर से वार्षिक नवीकरण फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है (नवम्बर 2006)।

32 ग्राम पंचायतों में, 2005-14 के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में 72 मोबाइल टॉवर प्रतिष्ठापित किए गए थे, लेकिन सम्बंधित मोबाइल कम्पनियों से मार्च 2014 तक ₹ 6.98 लाख के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी (**परिशिष्ट-8**)। इससे ग्राम पंचायतें राजस्व में उनको देय हिस्सेदारी से वंचित रही। इन ग्राम पंचायतों के सम्बंधित सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2014- फरवरी 2015) कि बकाया राशियों की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

2.1.4 पंचायत समिति गोपालपुर द्वारा बजट आकलन तैयार किये बिना किया गया व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 38 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र-12 में अपने प्राप्ति एवं व्यय का एक वार्षिक बजट आकलन तैयार करेगी। बजट पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा 31 दिसम्बर तक तैयार किया जाएगा तथा समिति की वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजना समिति को गहन जांच तथा परिवर्तन, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत किया जाएगा। जांच के बाद, उक्त समिति इसे फरवरी में या इससे पहले पंचायत समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। यह बजट पंचायत समिति द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 45 में प्रावधान है कि बजट प्रावधान के बिना कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायत समिति गोपालपुर ने 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान बजट आकलन तैयार एवं पारित किये बिना ₹ 2.15 करोड़ का व्यय किया था। पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी ने बताया (फरवरी 2015) कि बजट आकलन बिना किये गए व्यय को शीघ्र ही सक्षम प्राधिकारी से विनियमित करवा लिया जाएगा।

2.2 निधियों का अवरोधन

2.2.1 निर्माण कार्य आरंभ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के कारण ₹ 40.81 लाख की निधियां अव्ययित रहीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तीन पंचायत समितियों तथा तीन ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 60 निर्माण कार्यों जैसे पार्किंग, दुकानों, सड़कों, नालियों, ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं, स्ट्रीट लाईटों, आदि के निर्माण एवं मरम्मत के निष्पादन हेतु ₹ 40.81 लाख[6] प्राप्त किये गये थे (2009-14)। तथापि, मार्च 2014 तक निर्माण कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। अत:, विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधियों का उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ और लाभार्थी भी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2014-फरवरी 2015) कि भूमि विवाद तथा मुकदमेबाजी के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्राप्त करने तथा निधियां अवमुक्त किए जाने से पहले सुलझा लिए जाने चाहिए थे।

[6] पंचायत समितियां: गोपालपुर ₹ 3.91 लाख, गगरेट ₹ 19.75 लाख, आनी ₹ 8.40 लाख, ग्राम पंचायतें: बोहली ₹ 6.30 लाख, चेवा ₹ 1.20 लाख, पट्टा ₹ 1.25 लाख।

2.2.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत निष्फल व्यय

जिला परिषद चम्बा द्वारा नियतावधि में कार्य पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 0.64 करोड़ का अवरोधन हुआ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के दिशा-निर्देशानुसार संस्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जाने चाहिए तथा सम्बंधित निष्पादन अभिकरणों को निधियों की अवमुक्ति के छः महीनों के भीतर पूर्ण किये जाने चाहिए।

जिला परिषद चम्बा के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2011-14 के दौरान ₹ 1.57 करोड़ राशि के 85 निर्माण कार्य विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा निष्पादन हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत संस्वीकृत किये गए थे। इसमें से उपरोक्त निर्माण कार्यों पर ₹ 0.93 करोड़ उपयोग में लाये गए थे तथा ₹ 0.64 करोड़ नवम्बर 2014 तक बैंक में अप्रयुक्त पड़े थे। नियत अवधि में निर्माण कार्यों के पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 0.64 करोड़ के अवरोधन के अतिरिक्त लाभार्थी स्कीमों के अभिप्रेत लाभों से वंचित भी रहे।

सचिव, जिला परिषद चम्बा ने बताया (नवम्बर 2014) कि भारत सरकार से शेष अनुदान (25 *प्रतिशत*) अवमुक्त न होने तथा सीमित कार्य मौसम के कारण विलम्ब हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ निर्माण कार्य 2011 से अपूर्ण पड़े थे।

2.2.3 व्यक्तिगत बही खाते में निधियों का अवरोधन

लघु सिंचाई स्कीमों के निमित्त रखी गई ₹ 6.51 लाख की निधियां व्यक्तिगत बही खातों में अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

पंचायत समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई तथा जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन हेतु सरकार से प्राप्त अनुदानों को जमा करने के लिए व्यक्तिगत बही खाता रखती है। संस्वीकृतियों की शर्त के अनुसार निधियां संस्वीकृति की तिथि से एक मास के भीतर आहृत किए जाने तथा एक वर्ष के भीतर प्रयुक्त किया जाना अपेक्षित हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2010-14 के दौरान पांच[7] पंचायत समितियों के पास स्कीमों के निष्पादन हेतु उपलब्ध ₹ 9.66 लाख में से मार्च 2014 तक ₹ 3.15 लाख का व्यय किया गया था और इन पंचायत समितियों के व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 6.51 लाख का अव्ययित शेष था। निधियों की अप्रयुक्ति के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ तथा लाभार्थी भी स्कीमों के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (सितम्बर 2014-फरवरी 2015) कि ये धनराशियां भविष्य में प्रयोग में लाई जाएंगी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत बही खातों में जमा निधियां संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रयुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित थीं।

2.3 संदेहास्पद तैनातियां

2.3.1 श्रमिकों को भुगतान में अनियमितताएं

आठ ग्राम पंचायतों द्वारा एक ही अवधि में विभिन्न कार्यों पर उन्हीं श्रमिकों की तैनाती दर्शाई गयी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई आठ[8] ग्राम पंचायतों में 2008-14 के दौरान एक ही अवधि में अलग-अलग मस्टर रोल पर अलग-अलग कार्यों हेतु उन्हीं श्रमिकों को तैनात दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप संदेहास्पद तैनाती और ₹ 0.26 लाख की मजदूरी का दोहरा भुगतान हुआ। जिन स्कीमों/निर्माण कार्यों के नाम ये मस्टर रोल जारी किये गये थे, उनके नाम

7 चौंतड़ा, दरंग, गगरेट, नाहन तथा सुन्दरनगर

8 गाबली दाड़ी, घूण्ड, कजलोट, खुन्नी पनोली, कोट, कोठी चेहनी, कुन्नू तथा रोपा

अधिकतर मस्टर रोल में उल्लिखित नहीं किए गए थे जो अप्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण तंत्र का द्योतक था। ग्राम पंचायतों के सम्बंधित सचिवों ने बताया (नवम्बर 2014-मार्च 2015) कि मामले की जांच की जाएगी और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन

स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर जिसके वयस्क सदस्य अकुशल हस्त कार्य करने हेतु स्वेच्छा से तैयार हो, को एक वित्त वर्ष में गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार के न्यूनतम 100 दिन उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा का संवर्द्धन करना है। ग्राम पंचायतें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से सम्बंधित निधियां जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से प्राप्त कर रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताओं पर निम्न परिच्छेद में चर्चा की गई है।

2.4.1 श्रम भुगतान अवमुक्त करने में विलम्ब

चौदह ग्राम पंचायतों द्वारा श्रमिकों को ₹ 1.56 करोड़ के भुगतान में 02 से 14 दिनों की अवधि का विलम्ब किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 8.3.1 के अनुसार मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर मजदूरियों का भुगतान किया जाना था और किसी भी स्थिति में कार्य करने की तिथि से पंद्रह दिनों से अधिक विलम्ब नहीं होना था। पंद्रह दिनों से अधिक के विलम्ब के मामले में मजदूर 'मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति के हकदार थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चौदह ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरों को ₹ 1.56 करोड़ का भुगतान 02 से 14 दिनों **(परिशिष्ट-9)** के विलम्ब के पश्चात किया गया जोकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था। विलंबित भुगतान के लिए श्रमिकों को किसी प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया था। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (नवम्बर 2014-मार्च 2015) कि मजदूरी के भुगतान में विलम्ब खंड विकास अधिकारियों से निधियों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण हुआ था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मजदूरियों के भुगतान में विलम्ब से लाभार्थी उनकी पात्र हकदारियों से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2016 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अप्रैल 2016) ।

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

3.1 शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि

74वें संवैधानिक संशोधन ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों एवं पदाधिकारियों सहित संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को सभी 18 कार्य हस्तांतरित हैं (अगस्त 1994), तथापि निधियां एवं पदाधिकारी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने शेष हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 बनाए, तथापि कुछ अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्य जैसे सड़कों, गलियों, गलियों की लाइटें, सफाई इत्यादि का रखरखाव इन अधिनियमों के लागू किए जाने से पहले शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किए जाते थे।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा-शर्त अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व सहित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में एक नगर निगम, 30 नगर परिषदें तथा 21 नगर पंचायतें हैं।

शहरी स्थानीय निकायों का सम्पूर्ण नियंत्रण प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार के पास निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से निहित है। शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:-

शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक ढांचा

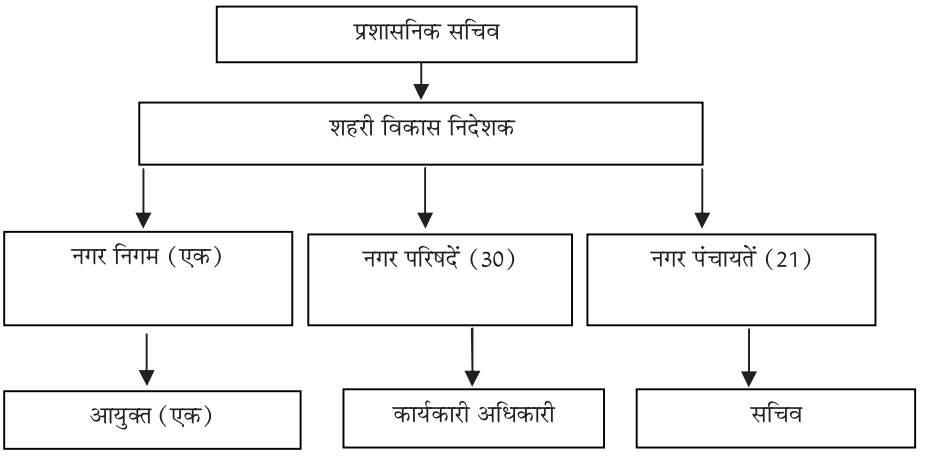

निर्वाचित निकाय

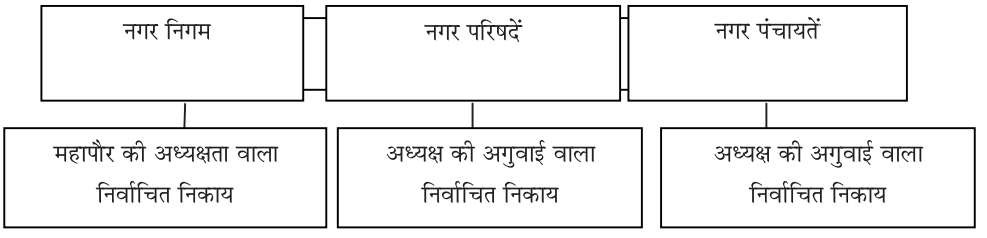

3.3.1 स्थायी समितियां

वित्तीय मामलों तथा स्कीमों के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न स्थाई समितियों का वर्णन **तालिका 8** में दिया गया है:

तालिका-8
स्थाई समितियों के नियम एवं उत्तरदायित्व

शहरी स्थानीय निकायों का स्तर	स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समिति की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व
शहरी स्थानीय निकाय	सामान्य स्थाई समिति	नगर निगम में महापौर तथा नगर परिषद/नगर पंचायत में अध्यक्ष	स्थापना मामलों, संचार, भवनों, शहरी आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत के प्रावधान, जलापूर्ति एवं समस्त अवशिष्ट मामलों के सम्बंध में कार्यों का निष्पादन करती है।
	वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजना समिति		नगरपालिका के वित्त, बजट का निर्माण, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा व प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों की जांच से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
	सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में उप महापौर तथा नगर परिषद/नगर पंचायत में अध्यक्ष	शिक्षा एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अन्य हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।

3.3.2 स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएँ

शहरी विकास निदेशालय में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु परियोजना अनुभाग में एक परियोजना अधिकारी तथा दो सांख्यिकीय सहायकों की तैनाती की गई है। शहरी स्थानीय निकायों में 01 अक्तूबर 2015 तक 3,330 संस्वीकृत पदों में से विभिन्न श्रेणियों के 872 पद (26 *प्रतिशत*) रिक्त पड़े थे और तीन शहरी स्थानीय निकायों में 13 कर्मचारी (नगर पंचायत चुवाड़ी: दो; नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर: आठ तथा नगर पंचायत मेहतपुर: तीन) अधिक थे **(परिशिष्ट-10)**। अपर निदेशक (शहरी स्थानीय निकाय) ने बताया (जनवरी 2016) कि नव-सृजित नगर परिषद, नैर चौक तथा नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला में उनके सृजन के समय स्टॉफ संस्वीकृत नहीं था।

3.4 वित्तीय रूपरेखा

3.4.1. शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यत: भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदान में केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत दिये गए अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आमदनी के हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अनुदानों द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों, किराया, शुल्कों, लाइसेंस जारी करने इत्यादि से भी राजस्व जुटाया जाता है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियां बैंक में रखी जाती हैं।

यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान प्रयुक्त किए जाते हैं, तथापि शहरी स्थानीय निकायों की अपनी प्राप्तियां प्रशासनिक खर्चों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं **तालिका 9** में दी गई हैं:

तालिका-9
प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्त्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह व्यवस्थाएं
1.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	भारत सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत कार्यकारी अभिकरणों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 100 *प्रतिशत* वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है।
2.	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम	केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान अंश 80:10 के अनुपात में बांटा जाना है तथा शेष 10 *प्रतिशत* का बंदोबस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के स्रोतों से किया जाना है।
3.	राजीव आवास योजना	एक विशेष श्रेणी का राज्य होते हुए हिमाचल प्रदेश में निधीयन का तरीका भारत सरकार, राज्य सरकार तथा आवास के लिए लाभार्थी तथा भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अवसंरचना हेतु शहरी स्थानीय निकाय द्वारा 80:10:10 के अनुपात में बांटा गया है।

3.4.2 संसाधनः प्रवृत्तियां एवं संघटक

शहरी स्थानीय निकायों के 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए संसाधनों का वर्णन **तालिका 10** में दिया गया है:

तालिका-10
शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अपने संसाधनों से राजस्व	54.54	58.78	44.23	50.10	अनुपलब्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों सहित केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण (वित्त आयोग हस्तांतरण)	7.77	24.30	30.97	46.88	22.52
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण (राज्य सरकार वित्त आयोग हस्तांतरण)	46.12	51.88	57.07	68.08	72.40
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भारत सरकार से अनुदान	19.50	25.83	3.90	149.16	91.64
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार से अनुदान	85.19	109.90	78.01	8.84	34.55
योग	**213.12**	**270.69**	**214.18**	**323.06**	**221.11**

स्रोतः शहरी विकास निदेशक

3.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संघटक

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग **तालिका 11** में दिए गये हैं:

तालिका-11
क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अपने संसाधनों से प्राप्त राजस्व से व्यय	55.97	59.14	31.04	19.35	अनुपलब्ध
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण)	7.77	24.30	30.97	35.39	22.52
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण)	46.12	51.88	57.07	68.08	72.40
राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों से व्यय	85.81	110.45	78.01	169.49	126.19
योग	**195.67**	**245.77**	**197.09**	**292.31**	**221.11**

स्रोत: शहरी विकास निदेशक

शहरी विकास निदेशालय ने वर्ष 2014-15 के लिए अप्रैल 2016 तक स्वयं के राजस्व की प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े संकलित नहीं किये थे।

3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2014-15 के दौरान नगर निगम, शिमला, छः नगर परिषदों[9] तथा सात नगर पंचायतों[10] के अभिलेखों की संवीक्षा की गई **(परिशिष्ट-1)**। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में दर्शाए गये हैं।

3.6 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की गई है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा 17 तथा 18 नवम्बर 2014 को राज्य सरकार के स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टॉफ हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों को निर्माण कार्यों, सहायता अनुदानों इत्यादि की लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, मापदण्ड एवं पद्धति के बारे में अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त, 2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के पांच निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समीक्षा की गई तथा आगामी सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये।

3.7 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मुख्य रूप से योगदान करती है। वित्तीय नियमों, कार्य-विधियों एवं निदेशों की अनुपालना के साथ साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की समयपरकता और गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। प्रभावी एवं प्रचालनीय अनुपालना एवं

9 बद्दी, डल्हौजी, धर्मशाला, घुमारवीं, परवाणू तथा ठियोग।

10 अर्की, भोटा, भुंतर, चौपाल, चुवाड़ी, गगरेट तथा जुब्बल।

नियंत्रणों पर प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को उनके नीतिगत आयोजना, निर्णय लेने तथा हित साधकों के उत्तरदायित्व से अंतर्विष्ट मूलभूत उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नवत् कमजोरियां/कमियां पायी गयीं जिनका अनुवर्ती परिच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

3.7.1 लेखाओं का अप्रमाणन

राज्य अधिनियमों/नियमों में किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा लेखाओं के प्रमाणन के सम्बंध में विशेष प्रावधान नहीं है तथापि, निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को अप्रैल 2009 से प्रोद्भूत आधार पर अपने लेखे रखने के अनुदेश (2007)जारी किये गये हैं। शहरी स्थानीय निकायों को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली प्रारम्भ करने के निदेश भी दिये गये थे (अप्रैल 2009) तथापि यह पाया गया कि दिसम्बर 2015 तक प्रोद्भूत आधार पर लेखांकन प्रणाली किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपनाई नहीं गई थी। अपर निदेशक (शहरी स्थानीय निकाय) ने बताया (दिसम्बर 2015) कि राष्ट्रीय पालिका लेखा नियम पुस्तिका के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के लिए हिमाचल प्रदेश पालिका लेखांकन नियम पुस्तिका प्रक्रियाधीन है। तथापि, राज्य के अधिनियमों/नियमों में विशेष प्रावधानों के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों में एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा लेखाओं का प्रमाणन अस्तित्व में नहीं हैं।

3.7.2 शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एक पृथक एवं स्वतंत्र अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षित किये जाने होते हैं। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की (फरवरी 2008) जिसके अनुसार निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा से शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करने की अपेक्षा की गई थी। वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार 22 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा आयोजना की गई थी जिनमें से 31 मार्च 2015 तक 21 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कर ली गई थी। अपर निदेशक ने बताया कि लेखापरीक्षा के दौरान उनके द्वारा यह देखा गया कि मात्र नगर निगम शिमला द्वारा ही वार्षिक लेखाओं का रख-रखाव किया गया है।

3.7.3 बजट आकलन

शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रत्याशित आय एवं व्यय के बजट आकलनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रपत्र में हिमाचल प्रदेश पालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार तैयार किये जाने होते हैं तथा चयनित प्रतिनिधियों की पालिका (सदन) के समक्ष रखे जाते हैं। सदन द्वारा बजट पारित किये जाने के बाद, यह निदेशक, शहरी विकास को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 2011-14 के दौरान नमूना जांच किये गए नगर निगम, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों द्वारा बजट प्रावधान तथा व्यय की वर्षबद्ध स्थिति **तालिका 12** में दी गई है:

तालिका-12
व्यय की तुलना में बजट आकलन

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचतें (-) आधिक्य (+)	बचत की प्रतिशतता
2011-12	23.79	19.44	(-) 4.35	18
2012-13	32.57	27.87	(-) 4.70	14
2013-14	28.95	22.43	(-) 6.52	23

टिप्पणी: इकाईबद्ध स्थिति **परिशिष्ट-11** में दी गई है।

तालिका 12 से यह स्पष्ट है कि यथार्थवादी बजट आकलन तैयार नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान 14 से 23 *प्रतिशत* की लगातार बचत हुई।

3.7.4 बैंक समाधान विवरणियाँ तैयार न करना

राज्य पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 19(2) के अनुसार सामान्य रोकड़ बही की कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन मद-वार जांच की जाएगी तथा इसका संवरण करके इसे प्रतिदिन हस्ताक्षरित किया जाएगा। मास के अंत में इसकी बैंक पास बुक से तुलना एवं मिलान किया जाएगा। प्राप्ति एवं व्यय की प्रत्येक मद की रोकड़ बही से जांच की जाएगी तथा अंतर की व्याख्या की जाएगी एवं सामान्य रोकड़ बही में इसका लेखा-जोखा रखा जाएगा।

तथापि, यह देखने में आया कि वर्ष 2013-14 के अंत में रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य ₹ 1.44 करोड़ **(परिशिष्ट-12)** का अंतर था जिसका पांच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मार्च 2014 तक मिलान नहीं किया गया था। बैंक विवरणों से मिलान न होने की स्थिति में इन शहरी स्थानीय निकायों के लेखा की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (अक्तूबर 2014-फरवरी 2015) कि भविष्य में अंतर का समाधान कर लिया जाएगा।

3.7.5 लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों

लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अभ्युक्तियों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ

नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के सम्बन्ध में क्रमश: आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्निहित अभ्युक्तियों की अनुपालना, त्रुटियों/चूकों में संशोधन एवं अभ्युक्तियों के समायोजन हेतु उनकी अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। 31 मार्च 2015 तक निर्गत, समायोजित तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का विवरण **तालिका 13** में अन्तर्निहित है:

तालिका-13
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की स्थिति

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने का वर्ष	31 मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		जमा		योग		2014-15 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31.03.2015 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2010-11तक	99	673	-	-	99	673	-	48	99	625
2.	2011-12	14	138	-	-	14	138	-	20	14	118
3.	2012-13	15	175	-	-	15	175	1	36	14	139
4.	2013-14	17	218	-	-	17	218	-	-	17	218
5.	2014-15	-	-	14	144	14	144	-	-	**14**	**144**
	योग	**145**	**1,204**	**14**	**144**	**159**	**1,348**	**1**	**104**	**158**	**1,244**

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा बकाया परिच्छेदों की बढ़ती हुई संख्या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को मार्च 2016 में प्रेषित किये गये थे। उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

4.1 राजस्व

4.1.1 बकाया गृह कर

निष्प्रभावी अनुश्रवण के कारण 11 शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर के कारण ₹ 4.04 करोड़ का राजस्व बकाया रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 शहरी स्थानीय निकायों में अप्रैल 2013 तक ₹ 4.34 करोड़ का गृहकर बकाया था। 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 4.13 करोड़ के गृहकर की मांग उठाई गई थी **(परिशिष्ट-13)** तथापि उक्त अवधि के दौरान मात्र ₹ 4.43 करोड़ का संग्रहण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक ₹ 4.04 करोड़ बकाया शेष रहा। वसूली की प्रक्रिया धीमी थी और चालू मांग की भी वसूली नहीं की गई थी। गृहकर की वसूली न होने के परिणामस्वरूप ₹ 4.04 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई जिसे अन्य विकासशील गतिविधियों पर उपयोग में लाया जा सकता था। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अक्तूबर 2014-फरवरी 2015) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं तथा वसूली के लिए प्रयास किये जाएंगे।

4.1.2 किराये की वसूली न होना

तेरह शहरी स्थानीय निकाय आवंटितियों से ₹ 1.86 करोड़ की राशि का दुकानों/बूथों/स्टालों का किराया वसूल करने में विफल रहे।

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (i) (ख) (2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगर पालिका को देय है तथा उक्त देयता के पंद्रह दिनों बाद तक भुगतान हेतु देय रहती है तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बंधित व्यक्तियों को मांग नोटिस दे सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए देय किसी भी तरह की राशि, संग्रहण के किसी अन्य रूप के पूर्वाग्रह बिना, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

यह देखने में आया कि 13 शहरी स्थानीय निकायों में इन शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली दुकानों/स्टॉलों के आवंटितियों के प्रति ₹ 1.70 करोड़ की राशि के किराया प्रभार अप्रैल 2013 **(परिशिष्ट-14)** तक वसूली हेतु लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान इन दुकानों/स्टॉलों के किरायेदारों/पट्टाधारियों से ₹ 0.94 करोड़ की मांग की गई थी। ₹ 2.64 करोड़ की कुल मांग में से मार्च 2014 तक केवल ₹ 0.78 करोड़ वसूल किये गए थे तथा ₹ 1.86 करोड़ की बकाया वसूली नहीं की गई। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बताया गया (सितम्बर 2014-फरवरी 2015) कि चूककर्त्ताओं को मांग नोटिस जारी किये जा चुके थे तथा राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जाएगी।

4.1.3 मोबाइल टॉवरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली न होना

सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टॉवरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 18.14 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल संप्रेषण टॉवरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 10,000 प्रति टॉवर की दर पर शुल्क तथा ₹ 5,000 की दर पर वार्षिक नवीकरण शुल्क उद्ग्रहीत करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्राधिकृत (अगस्त 2006) किया।

सात शहरी स्थानीय निकायों में 2006-14 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में मोबाइल टॉवर प्रतिष्ठापित किए गये थे परन्तु सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 106 टॉवरों के सम्बंध में मार्च 2014 तक ₹ 18.14 लाख[11] के प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (सितम्बर 2014 से फरवरी 2015) कि बकायों की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

4.1.4 विद्युत उपकर की वसूली न होना

नगर परिषद बद्दी ₹ 29.18 लाख राशि का विद्युत कर लगाने में विफल रही।

राज्य सरकार ने नगर परिषद क्षेत्र की सीमा के भीतर रहने वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रति इकाई विद्युत खपत पर एक पैसा की दर पर कर संग्रहीत करने हेतु नगर परिषदों को प्राधिकृत किया है (अप्रैल 2002)।

नगर परिषद बद्दी के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि अप्रैल 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान नगर परिषद बद्दी क्षेत्र में विद्युत का उपभोग 29,18,28,201 इकाइयां थी तथा इस पर ₹ 29.18 लाख के कर की गणना की गई थी। तथापि, नगर परिषद ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से इसकी वसूली नहीं की थी जिसने उपभोक्ताओं से इसका संग्रहण करना था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कर की शीघ्र वसूली हेतु प्रयास किये जाएंगे।

4.2 निधियों का अवरोधन

4.2.1 उपलब्ध निधियों को उपयोग में न लाया जाना

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि नगर निगम शिमला, दो नगर परिषदों तथा तीन नगर पंचायतों में 2001-14 के दौरान 48 विकास कार्यों हेतु ₹ 2.19 करोड़[12] राशि की निधियां उपलब्ध थी। तथापि, मार्च 2014 तक निर्माण कार्यों के निष्पादन पर इन निधियों में से कोई व्यय नहीं किया गया था। अत: विकास कार्यों के लिए निधियों का उपयोग न किये जाने के परिणामस्वरूप अभिप्रेत लाभार्थी विकास कार्यों के लाभों से वंचित रहे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2014-फरवरी 2015) कि निर्माण कार्य भू-विवादों, संहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न होने तथा तकनीकी स्टॉफ की कमी के कारण आरम्भ नहीं किये जा सके थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्राप्त करने तथा निधीयन अभिकरणों से निधियां अवमुक्त करने से पहले ही निपटा लिये जाने चाहिए थे।

4.2.2. पार्किंग का निर्माण न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में प्रमुख स्थलों पर पार्किंग सुविधाएं सृजित करते हुए एकीकृत पर्यटन विकास स्थल के अंतर्गत डल्हौजी, जिला चम्बा में पार्किंग निर्माण हेतु ₹ 86.87 लाख संस्वीकृत (2012-13) किये। तदनुसार जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चम्बा द्वारा ₹ 43.44 लाख की पहली किस्त नगर परिषद डल्हौजी को अवमुक्त की गई थी (मार्च 2013)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थल की अनुपलब्धता के कारण नवम्बर 2014 तक नगर परिषद डल्हौजी द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया था। अत: नगर परिषद डल्हौजी द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन में उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹ 43.44 लाख का अवरोधन हुआ तथा जनता को अभिप्रेत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2014) कि पार्किंग निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है और तदनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद डल्हौजी डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहा।

---

11 नगर निगम शिमला: ₹ 12.07 लाख, नगर परिषद डल्हौजी: ₹ 1.25 लाख, घुमारवीं: ₹ 0.5 लाख, धर्मशाला:₹ 2.35 लाख, परवाणू: ₹ 0.88 लाख, नगर पंचायत: ऊना: ₹ 0.64 लाख, जुब्बल: ₹ 0.45 लाख

12 नगर निगम शिमला: ₹ 86.52 लाख, नगर परिषद घुमारवीं: ₹ 85.78 लाख, नगर परिषद परवाणू: ₹ 4.00 लाख, नगर पंचायत अर्की: ₹ 10.10 लाख, नगर पंचायत चौपाल: ₹ 2.10 लाख तथा नगर पंचायत चुवाड़ी: ₹ 30.29 लाख

4.3 परिचालक की दायिता को सुनिश्चित न किया जाना

नगर निगम शिमला ने ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के परिचालक की ₹ 5.00 करोड़ की दायिता परियोजना जन दायिता बीमा अधिनियम, 1991 द्वारा सुनिश्चित नहीं की थी।

पालिका क्षेत्र में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए नगर निगम शिमला तथा एक फर्म के मध्य एक रियायत करार किया गया था (जुलाई 2010)। करार के खण्ड संख्या 5.9(एम) के अनुसार रियायती को जन दायिता बीमा अधिनियम, 1991 के अनुसार रियायत करार की सम्पूर्ण अवधि (20 वर्ष) तथा बंद होने की उत्तरवर्ती अवधि हेतु न्यूनतम ₹ 5.00 करोड़ के लिये जन दायिता बीमा बनाए रखना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायती ने करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार फरवरी 2015 तक जन दायिता बीमा शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप रियायती को अनुचित लाभ मिला।

4.4 जाली प्रयुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना

नगर परिषद परवाणू द्वारा निदेशक, शहरी विकास, शिमला को ₹ 3.27 करोड़ के लिए प्रयुक्ति प्रमाण पत्र बिना इसकी वास्तविक प्रयुक्ति के गलत जारी किये गये थे।

परवाणू स्थित जलापूर्ति स्कीम के सुधार हेतु एक परियोजना लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत ₹ 7.27 करोड़ में संस्वीकृत की गई थी (नवम्बर 2013)। ₹ 3.27 करोड़ की पहली किस्त इस शर्त के साथ अवमुक्त की गई थी (अप्रैल 2014) कि इन निधियों हेतु एक पृथक् लेखे का अनुरक्षण किया जाएगा तथा सभी संहिता सम्बन्धी औपचारिकताओं के पूर्ण किये जाने के बाद इसकी प्रयुक्ति की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि नगर परिषद परवाणू ने कार्यकारी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास अभिकरण को निधियां अवमुक्त कीं (अप्रैल 2014) तथा उसने निदेशक, शहरी विकास, शिमला को ₹ 3.27 करोड़ का प्रयुक्ति प्रमाण पत्र कोई व्यय न किए जाने के तथ्य के बावजूद भी प्रस्तुत किया था (जनवरी 2015)। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2015) कि निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा प्रयुक्ति प्रमाण पत्र अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद अनुदान का उपयोग करने में विफल रही थी तथा प्रयुक्ति प्रमाण पत्र अनियमित रूप से प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2016 में सरकार को प्रेषित किए गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अप्रैल 2016)।

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक:

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिच्छेद 1.6 एवं 3.5; पृष्ठ 6 एवं 18)

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र-2014-15 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

जिला परिषद

क्रमांक	जिला परिषदों का नाम
1.	चम्बा
2.	कांगड़ा
3.	कुल्लू
4.	सोलन
5.	ऊना
6.	शिमला
7.	हमीरपुर

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम
1.	गगरेट
2.	दरंग
3.	हरोली
4.	चौंतरा
5.	धर्मशाला
6.	मशोबरा
7.	नारकंडा
8.	निरमंड
9.	रामपुर
10.	आनी
11.	सोलन
12.	नाहन
13.	सुन्दरनगर
14.	धर्मपुर
15.	गोपालपुर
16.	कुल्लू
17.	नग्गर

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	त्रिलोक नाथ	लाहौल	लाहौल एवं स्पिति
2.	उदयपुर	केलांग	लाहौल एवं स्पिति
3.	गोहरमा	लाहौल स्थित केलांग	लाहौल एवं स्पिति
4.	कोट	गोपालपुर	मण्डी
5.	कुफरी	दरंग	मण्डी
6.	निचला गरोडु	दरंग	मण्डी
7.	कुन्नू	दरंग	मण्डी

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
8.	समैला	गोपालपुर	मण्डी
9.	सिद्धपुर	धर्मपुर	मण्डी
10.	चोलथरा	धर्मपुर	मण्डी
11.	खुड़ला	गोपालपुर	मण्डी
12.	चोक	धर्मपुर	मण्डी
13.	भद्रवाड	गोपालपुर	मण्डी
14.	तंग नरवाना	धर्मशाला	कांगड़ा
15.	गबली ढाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा
16.	सिद्धबाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा
17.	कजलोट	धर्मशाला	कांगड़ा
18.	गुनेहार	बैजनाथ	कांगड़ा
19.	मसेरन	बैजनाथ	कांगड़ा
20.	सीरथ	इंदौरा	कांगड़ा
21.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा
22.	बरांडा	इंदौरा	कांगड़ा
23.	गंगथ	इंदौरा	कांगड़ा
24.	सेखपुरा	इंदौरा	कांगड़ा
25.	कुलुंड	भवारना	कांगड़ा
26.	पंतेहर	बैजनाथ	कांगड़ा
27.	समेला	कांगड़ा	कांगड़ा
28.	हटवास	नगरोटा	कांगड़ा
29.	मुहालकड चाहड़ी	नगरोटा	कांगड़ा
30.	भट्टू	बैजनाथ	कांगड़ा
31.	सुन्नम	पूह	किन्नौर
32.	ज्ञाबुंग	पूह	किन्नौर
33.	लिप्पा	पूह	किन्नौर
34.	मंगला	मेहला	चम्बा
35.	कीड़ी	मेहला	चम्बा
36.	दांड	सलूणी	चम्बा
37.	सुंडला	सलूणी	चम्बा
38.	उटीप	मेहला	चम्बा
39.	बरांगाल	सलूणी	चम्बा
40.	बाहली	सोलन	सोलन
41.	भारती	सोलन	सोलन
42.	बसाल	सोलन	सोलन
43.	चेवा	सोलन	सोलन
44.	कसौली	धर्मपुर स्थित गड़खल	सोलन
45.	घुण्ड	ठियोग	शिमला
46.	भलोह	मशोबरा	शिमला
47.	मोगडा	नारकंडा	शिमला
48.	बढ़ाच	ननखड़ी	शिमला
49.	खुन्नी	ननखड़ी	शिमला
50.	बगलाटी	ननखड़ी	शिमला

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
51.	भरेच	मशोबरा	शिमला
52.	बोहल टेलिया	राजगढ़	सिरमौर
53.	भराड़ी	संगराह	सिरमौर
54.	भलोना	संगराह	सिरमौर
55.	व्योंग टट्वा	संगराह	सिरमौर
56.	दयोठी	राजगढ़	सिरमौर
57.	निचला अर्नियाला	ऊना	ऊना
58.	ऊपरी अर्नियाला	ऊना	ऊना
59.	अम्बोटा	गगरेट	ऊना
60.	सलोह	हरोली	ऊना
61.	संघनयी	गगरेट	ऊना
62.	वाहडला	ऊना	ऊना
63.	टकारला	अम्ब	ऊना
64.	धार टटोह	सदर	बिलासपुर
65.	बरमाणा	सदर	बिलासपुर
66.	पट्टा	घुमारवीं	बिलासपुर
67.	ढ़ोल कोठी	सदर	बिलासपुर
68.	रैल्ला	कुल्लू	कुल्लू
69.	मनीकर्ण	कुल्लू	कुल्लू
70.	मंझाली	कुल्लू	कुल्लू
71.	कोठी चैहनी	कुल्लू	कुल्लू
72.	फरनोल	हमीरपुर	हमीरपुर
73.	रोपा	हमीरपुर	हमीरपुर
74.	बिझड़ी	बिझड़ी	हमीरपुर
75.	बल्याह	बिझड़ी	हमीरपुर
76.	सपरोह	नादौन	हमीरपुर

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला

नगर परिषद

क्रमांक	नगर परिषद का नाम
1.	धर्मशाला
2.	डल्हौजी
3.	ठियोग
4.	घुमारवीं
5.	परवाणू
6.	बद्दी

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम
1.	गगरेट
2.	चुवाड़ी
3.	भुन्तर
4.	भोटा
5.	अर्की
6.	जुब्बल
7.	चौपाल

परिशिष्ट-2

(संदर्भ परिच्छेद 1.8.2; पृष्ठ 8)

ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	बढ़ाच	ननखड़ी	शिमला
2.	भलोह	मशोबरा	शिमला
3.	भरेच	मशोबरा	शिमला
4.	खुन्नी पनोली	ननखड़ी	शिमला
5.	मोगडा	नारकण्डा	शिमला
6.	फरनोल	हमीरपुर	हमीरपुर
7.	रोपा	हमीरपुर	हमीरपुर
8.	सपरोह	नादौन	हमीरपुर
9.	बल्याह	बिझड़ी	हमीरपुर
10.	बिझड़ी	बिझड़ी	हमीरपुर
11.	बरांडा	इंदौरा	कांगड़ा
12.	बसाल	सोलन	सोलन
13.	खुडला	गोपालपुर	मण्डी
14.	कोट	गोपालपुर	मण्डी
15.	भदरवाड	गोपालपुर	मण्डी
16.	चोलथरा	धर्मपुर	मण्डी
17.	समैला	गोपालपुर	मण्डी
18.	गंगथ	इंदौरा	कांगड़ा
19.	कलूंड	भवारना	कांगड़ा
20.	पंतेहड	बैजनाथ	कांगड़ा
21.	शेखपुरा	इंदौरा	कांगड़ा
22.	ज्ञाबुंग	पूह	किन्नौर
23.	सुन्नम	पूह	किन्नौर

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
24.	लिप्पा	पूह	किन्नौर
25.	कोठी चेहनी	बंजार	कुल्लू
26.	मनीकर्ण	कुल्लू	कुल्लू
27.	मंझाली	कुल्लू	कुल्लू
28.	रैल्ला	कुल्लू	कुल्लू
29.	सलोह	हरोली	ऊना
30.	संघनाई	गगरेट	ऊना
31.	टकारला	अम्ब	ऊना
32.	वाहडला	ऊना	ऊना
33.	सिद्धपुर	धर्मपुर	मण्डी
34.	त्रिलोकनाथ	केलांग	लाहौल एवं स्पिति
35.	उदयपुर	केलांग	लाहौल एवं स्पिति

परिशिष्ट-3

(संदर्भ परिच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 8)

ग्राम पंचायतों में बैंक पास बुकों और रोकड़ बही के मध्य के अंतर का मिलान न किया जाना

1. मामले जहां रोकड़ बही से बैंक पास बुक में कम शेष दर्शाया गया

जिला परिषद (₹ लाख)

क्रमांक	जिला परिषद का नाम	31 मार्च 2014 तक पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2014 तक रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	सोलन	543.81	533.45	10.36
2.	शिमला	157.04	34.70	122.34
	योग	**700.85**	**568.15**	**132.70**

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	31 मार्च 2014 तक पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2014 तक रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	नारकण्डा	शिमला	63.22	44.53	18.69
2.	रामपुर	शिमला	73.04	69.21	3.83
3.	चौंतड़ा	मण्डी	140.20	107.91	32.29
4.	दरंग	मण्डी	99.31	99.18	0.13
5.	सुन्दरनगर	मण्डी	119.34	110.29	9.05
6.	सोलन	सोलन	63.30	53.55	9.75
		योग	**558.41**	**484.67**	**73.74**
		सकल योग	**1259.26**	**1052.82**	**206.44**

2. मामले जहां बैंक पास बुक से रोकड़ बही में कम शेष दर्शाया गया

क्रमांक	जिला परिषद का नाम	31 मार्च 2014 तक पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2014 तक रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	कांगड़ा	2224.38	2735.96	511.58
	योग	**2224.38**	**2735.96**	**511.58**

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	31 मार्च 2014 तक पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2014 तक रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1	हरोली	ऊना	75.18	90.28	15.10
2	गगरेट	ऊना	150.06	159.17	9.11

3	निरमण्ड	कुल्लू	91.05	98.93	7.88
4	धर्मपुर	मण्डी	112.43	143.38	30.95
		योग	**428.72**	**491.76**	**63.04**
		सकल योग	**2653.10**	**3227.72**	**574.62**

रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक के मध्य के अंतर का सार

क्रमांक	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक के मध्य अंतर
1.	जिला परिषद	3	644.28
2.	पंचायत समिति	10	136.78
सकल योग		**13**	**781.06**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-4

(संदर्भ परिच्छेद 1.8.7(ii); पृष्ठ 9)

अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण 13वें वित्त आयोग के अधीन निधियों का अवरोधन

जिला परिषदें

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला परिषद	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	चम्बा	चम्बा	2012-15	1283.14	551.01	732.13
2.	कांगड़ा	कांगड़ा	2013-15	3111.88	1532.28	1579.60
3.	सोलन	सोलन	2012-14	416.87	227.67	189.20
4.	शिमला	शिमला	2013-15	1196.46	1072.41	124.05
योग				**6008.35**	**3383.37**	**2624.98**

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समितियां	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	नारकण्डा	शिमला	2010-14	66.74	40.50	26.24
2.	मशोबरा	शिमला	2010-14	144.76	107.10	37.66
3.	रामपुर	शिमला	2011-14	137.77	95.35	42.42
4.	हरोली	ऊना	2010-14	147.46	96.46	51.00
5.	गगरेट	ऊना	2011-14	127.07	36.75	90.32
6.	धर्मशाला	कांगड़ा	2011-14	154.05	41.70	112.35
7.	चौंतड़ा	मण्डी	2010-14	155.20	90.68	64.52
8.	सुन्दरनगर	मण्डी	2010-14	210.00	138.65	71.35
9.	गोपालपुर	मण्डी	2010-14	154.36	106.92	47.44
10.	दरंग	मण्डी	2010-15	153.01	87.66	65.35
11.	आनी	कुल्लू	2010-14	217.44	173.12	44.32
12.	निरमण्ड	कुल्लू	2011-14	183.06	126.20	56.86
13.	सोलन	सोलन	2010-14	141.32	108.83	32.49
14.	नाहन	सिरमौर	2011-14	88.14	74.52	13.62
योग				**2080.38**	**1324.44**	**755.94**

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	अम्बोटा	गगरेट	ऊना	2011-14	4.05	2.42	1.63
2.	निचला अर्नियाला	ऊना	ऊना	2011-14	2.90	0.57	2.33
3.	सलोह	हरोली	ऊना	2010-14	2.60	0.19	2.41
4.	संघनयी	गगरेट	ऊना	2011-14	5.16	1.99	3.17
5.	टकारला	अम्ब	ऊना	2011-14	5.16	3.56	1.60
6.	बाहडला	ऊना	ऊना	2011-14	3.72	3.00	0.72
7.	बड़ाच	ननखड़ी	शिमला	2011-14	1.40	0.13	1.27
8.	बगाल्टी	ननखड़ी	शिमला	2011-14	2.30	0.00	2.30
9.	भडेच	मशोबरा	शिमला	2011-14	9.10	3.66	5.44
10.	घुण्ड	ठियोग	शिमला	2011-14	1.82	1.18	0.64
11.	खुन्नी पनोली	ननखड़ी	शिमला	2011-14	2.38	0.72	1.66
12.	मोगडा	नारकण्डा	शिमला	2011-14	0.52	0.00	0.52
13.	फरनोल	हमीरपुर	हमीरपुर	2011-14	1.58	0.07	1.51
14.	बल्याह	बिझड़ी	हमीरपुर	2011-14	2.82	1.78	1.04
15.	रोपा	हमीरपुर	हमीरपुर	2011-14	1.55	0.00	1.55
16.	भट्टू पंजाटा	बैजनाथ	कांगड़ा	2011-14	2.11	0.00	2.11
17.	गंगथ	इंदौरा	कांगड़ा	2010-14	5.00	2.97	2.03
18.	हटवास	नगरोटा बगवां	कांगड़ा	2010-14	3.48	2.90	0.58
19.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	2010-14	4.27	3.19	1.08

20.	बरांडा	इंदौरा	कांगड़ा	2010-14	4.82	2.05	2.77
21.	मुहालकड़ चाहड़ी	नगरोटा बगवां	कांगड़ा	2010-14	3.33	1.74	1.59
22.	पंतेहर	बैजनाथ	कांगड़ा	2010-14	7.36	4.24	3.12
23.	शेखपुरा	इंदौरा	कांगड़ा	2010-14	4.29	3.09	1.20
24.	सिद्धवाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा	2010-14	3.75	0.21	3.54
25.	सीरत	इंदौरा	कांगड़ा	2011-14	5.28	4.30	0.98
26.	समैला	कांगड़ा	कांगड़ा	2013-14	0.66	0.00	0.66
27.	कजलोट	धर्मशाला	कांगड़ा	2010-14	3.91	2.34	1.57
28.	तंग नरवाना	धर्मशाला	कांगड़ा	2010-14	3.88	2.16	1.72
29.	सुन्नम	पूह	किन्नौर	2011-12	0.48	0.00	0.48
30.	ज्ञाबुंग	पूह	किन्नौर	2011-14	0.61	0.00	0.61
31.	धार टटोह	सदर	बिलासपुर	2011-14	3.69	2.59	1.10
32.	धोवन कोठी	सदर	बिलासपुर	2012-14	2.29	0.37	1.92
33.	बरमाणा	सदर	बिलासपुर	2012-14	2.75	2.46	0.29
34.	बसाल	सोलन	सोलन	2010-14	1.69	1.27	0.42
35.	भारती	सोलन	सोलन	2011-14	1.43	1.09	0.34
36.	बोहली	सोलन	सोलन	2011-14	2.37	0.23	2.14
37.	कसौली गड़खल	धर्मपुर	सोलन	2011-14	5.16	4.66	0.50
38.	भलौना	संगराह	सिरमौर	2010-14	1.57	0.95	0.62
39.	दयोठी मझगांव	राजगढ़	सिरमौर	2010-14	3.09	2.02	1.07
40.	व्योंग टट्वा	संगराह	सिरमौर	2011-14	1.38	1.07	0.31

41.	ढ़ांड	सलूणी	चम्बा	2013-14	0.73	0.60	0.13
42.	सुंडला	सलूणी	चम्बा	2013-14	0.77	0.60	0.17
43.	बरांगल	सलूणी	चम्बा	2013-14	0.86	0.41	0.45
44.	उटीप	मेहला	चम्बा	2011-14	2.89	1.41	1.48
45.	चोलथरा	धर्मपुर	मण्डी	2010-14	1.26	0.76	0.50
46.	कोट	गोपालपुर	मण्डी	2012-14	1.25	0.30	0.95
47.	कुफरी	दरंग	मण्डी	2013-14	1.09	0.56	0.53
48.	कुन्नू	दरंग	मण्डी	2010-14	5.84	2.48	3.36
49.	निचला गरोडू	दरंग	मण्डी	2011-14	3.07	1.73	1.34
50.	समैला	गोपालपुर	मण्डी	2010-14	2.48	0.00	2.48
51.	मनीकरण	कुल्लू	कुल्लू	2010-14	1.34	0.22	1.12
52.	मंझाली	कुल्लू	कुल्लू	2010-14	1.96	1.40	0.56
53.	कोठी चैहनी	बंजार	कुल्लू	2011-14	1.55	0.27	1.28
54.	त्रिलोकनाथ	लाहौल	लाहौल एवं स्पिति	2011-14	0.42	0.00	0.42
55.	उदयपुर	केलांग	लाहौल एवं स्पिति	2012-15	0.72	0.00	0.72
				योग	**151.94**	**75.91**	**76.03**
				सकल योग	**8240.67**	**4783.72**	**3456.95**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-5

(संदर्भ परिच्छेद 1.8.7(iii); पृष्ठ 10)

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्रारम्भ न होने के कारण निधियों का अवरोधन

जिला परिषद

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला परिषद	अवधि	प्राप्ति	निर्माण कार्यों की संख्या	व्यय	शेष
1.	चम्बा	2013-14	2.50	1	-	2.50
2.	सोलन	2012-14	10.80	14	-	10.80
योग			**13.30**	**15**	**-**	**13.30**

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति	जिला	अवधि	प्राप्ति	निर्माण कार्यों की संख्या	व्यय	शेष
1.	नारकण्डा	शिमला	2011-13	9.75	30	-	9.75
2.	मशोबरा	शिमला	2011-13	10.55	44	-	10.55
3.	धर्मशाला	कांगडा	2010-13	14.69	36	-	14.69
4.	चौंतड़ा	मण्डी	2012-14	8.49	14	-	8.49
5.	सोलन	सोलन	2010-14	11.18	14	-	11.18
6.	नाहन	सिरमौर	2011-14	7.25	13	-	7.25
			योग	**61.91**	**151**	**-**	**61.91**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	निर्माण कार्यों की संख्या	व्यय	शेष
1.	भलोह	मशोबरा	शिमला	2012-13	0.75	1	-	0.75
2.	भड़ेच	मशोबरा	शिमला	2013-14	1.00	1	-	1.00
				योग	**1.75**	**2**	**-**	**1.75**
				सकल योग	**76.96**	**168**	**-**	**76.96**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-6

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 11)

गृह कर की वसूली न होना

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम	बकाया राशि
1.	खुन्नी पनोली	ननखडी	शिमला	0.35
2.	भलोह	मशोबरा	शिमला	0.07
3.	भडेच	मशोबरा	शिमला	0.09
4.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	0.09
5.	मोगडा	नारकण्डा	शिमला	0.15
6.	बडाच	ननखडी	शिमला	0.75
7.	बगाल्टी	ननखडी	शिमला	0.29
8.	सलोह	हरोली	ऊना	0.53
9.	संघनयी	गगरेट	ऊना	1.13
10.	निचला आर्नियाला	ऊना	ऊना	0.37
11.	ऊपरी आर्नियाला	ऊना	ऊना	0.11
12.	टकराला	अम्ब	ऊना	0.41
13.	वाहडला	ऊना	ऊना	1.22
14.	रैला	कुल्लू	कुल्लू	0.29
15.	मांझली	कुल्लू	कुल्लू	0.46
16.	कोठी चेहनी	बंजार	कुल्लू	0.74
17.	मनीकर्ण	कुल्लू	कुल्लू	0.36
18.	व्योंग टट्वा	संगराह	सिरमौर	0.08
19.	धार टटोह	सदर	बिलासपुर	0.21
20.	बरमाणा	सदर	बिलासपुर	0.15
21.	कसौली गड़खल	धर्मपुर	सोलन	0.33
22.	रोपा	हमीरपुर	हमीरपुर	0.23
23.	बिझड़ी	बिझड़ी	हमीरपुर	0.37
24.	बल्याह	बिझड़ी	हमीरपुर	0.61
25.	फरनोल	हमीरपुर	हमीरपुर	0.63
26.	त्रिलोकनाथ	उदयपुर	लाहौल एवं स्पिति	0.43
27.	उदयपुर	केलांग	लाहौल एवं स्पिति	0.14
28.	गोहारमा	लाहौल स्थित स्पिति	लाहौल एवं स्पिति	0.01
29.	मंझेरन	बैजनाथ	कांगड़ा	0.38
30.	गुनेहड	बैजनाथ	कांगड़ा	0.12
31.	मुहालकड़ चाहड़ी	नगरोटा	कांगड़ा	0.25
32.	शेखपुरा	इंदौरा	कांगड़ा	0.28
33.	गंगथ	इंदौरा	कांगड़ा	0.09
34.	बरांडा	इंदौरा	कांगड़ा	0.91
35.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	0.14
36.	सीरथ	इंदौरा	कांगड़ा	0.38

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम	बकाया राशि
37.	कजलोट	धर्मशाला	कांगड़ा	0.29
38.	गबली दाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा	0.39
39.	सिद्धवाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा	0.64
40.	तंग नरवाना	धर्मशाला	कांगड़ा	0.63
41.	कलूण्ड	भवारना	कांगड़ा	0.12
42.	पंतेहड	बैजनाथ	कांगड़ा	0.38
43.	भट्टू	बैजनाथ	कांगड़ा	0.24
44.	सिद्धपुर	धर्मपुर	मण्डी	0.74
45.	भद्रवाड	गोपालपुर	मण्डी	0.45
46.	चोलथरा	धर्मपुर	मण्डी	0.19
47.	मंगला	मेहला	चम्बा	0.17
48.	दांड़	सलूणी	चम्बा	0.3
49.	बरंगाल	सलूणी	चम्बा	0.28
50.	सुन्नम	पूह	किन्नौर	0.34
51.	ज्ञाबंग	पूह	किन्नौर	0.39
52.	लिप्पा	पूह	किन्नौर	0.23
योग				**18.93**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-7

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 11)

दुकानों का बकाया किराया

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
जिला परिषद				
1.	कांगड़ा	2014-15	4	2.12
2.	कुल्लू	2013-14	9	1.68
3.	हमीरपुर	2013-14	4	0.60
		योग	**17**	**4.40**
पंचायत समितियां				
1.	मशोबरा	2005-13	6	1.73
2.	गगरेट	2009-13	9	3.83
3.	रामपुर	2011-14	2	0.08
4.	नाहन	2013-15	1	0.09
5.	नग्गर	2010-14	5	0.72
6.	धर्मपुर	2010-14	7	1.10
		योग	**30**	**7.55**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	कोठी चेहनी	बंजार	कुल्लू	2011-13	9	1.97
2.	बोहली	सोलन	सोलन	2013-14	4	0.13
3.	चेवा	सोलन	सोलन	2013-14	1	0.33
4.	कसौली गड़खल	धर्मपुर	सोलन	2010-14	3	0.46
5.	ऊपरी अर्नियाला	ऊना	ऊना	2009-14	8	1.08
6.	उदयपुर	केलांग	लाहौल एवं स्पिति	2013-14	7	1.46
7.	तंग नरवाना	धर्मशाला	कांगड़ा	2006-12	11	0.68
8.	गबली दाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा	2011-14	3	0.69
9.	गंगथ	इंदौरा	कांगड़ा	2006-14	10	0.62
				योग	**56**	**7.42**
				सकल योग	**103**	**19.37**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट -8

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.3 पृष्ठ 12)

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन शुल्क की वसूली न होना

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड	जिला	टावरों की संख्या	प्रतिष्ठापन का वर्ष	राशि
1	मनीकरण	कुल्लू	कुल्लू	5	2007-08	0.14
2	रायला	कुल्लू	कुल्लू	4	2008-09	0.15
3	मंझली	कुल्लू	कुल्लू	3	2007-08	0.38
4	बसाल	सोलन	सोलन	4	2011-14	0.82
5	बोहली	सोलन	सोलन	2	2008-10	0.16
6	कसौली गड़खल	धर्मपुर	सोलन	3	---	0.28
7	भराड़ी	संगराह	सिरमौर	2	2012-14	0.08
8	बोहल तलिया	राजगढ़	सिरमौर	3	2005-08	0.56
9	संघनयी	गगरेट	ऊना	1	2013-14	0.04
10	अम्बोटा	गगरेट	ऊना	2	2013-14	0.04
11	निचला अर्नियाला	ऊना	ऊना	3	2006-07	0.24
12	वाहडला	ऊना	ऊना	2	2009-11	0.16
13	बरमाणा	सदर	बिलासपुर	1	2008-09	0.14
14	धार टटोह	सदर	बिलासपुर	2	2012-13	0.14
15	पट्टा	घुमारवीं	बिलासपुर	1	---	0.06
16	बगालती	ननखड़ी	शिमला	3	2007-10	0.22
17	घून्ड	ठियोग	शिमला	5	2006-07	0.56
18	बिझड़ी	बिझड़ी	हमीरपुर	4	2007-08	0.52
19	बल्याह	बिझड़ी	हमीरपुर	1	2006-07	0.12
20	कुन्नू	दरंग	मण्डी	3	2009-13	0.25
21	तंग नरवाना	धर्मशाला	कांगड़ा	1	2006-07	0.16
22	कलूंड	भवारना	कांगड़ा	3	2009-10	0.24
23	गबली दाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा	1	2007-08	0.08
24	सिद्धवाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा	1	2006-07	0.18
25	सीरथ	इंदौरा	कांगड़ा	1	2006-07	0.05
26	बरांडा	इंदौरा	कांगड़ा	3	2008-11	0.26
27	शेखपुरा	इंदौरा	कांगड़ा	1	2009-10	0.08
28	मंगला	मेहला	चम्बा	2	2011-12	0.14
29	दांड	सलूणी	चम्बा	2	2009-10	0.28
30	सूण्डला	सलूणी	चम्बा	1	2007-08	0.19
31	ज्ञाबुंग	पूह	किन्नौर	1	2006-07	0.14
32	लिप्पा	पूह	किन्नौर	1	2009-10	0.12
			योग	**72**		**6.98**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-9

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 14)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत भुगतान अवमुक्त करने में विलम्ब

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	अवधि	विलम्ब दिनों में	राशि
1.	खुन्नी पनोली	ननखड़ी	शिमला	2013-14	15 to 90	11.81
2.	घूण्ड	ठियोग	शिमला	2013-14	15 to 90	15.82
3.	मोगडा	नारकण्डा	शिमला	2013-14	15 to 90	6.03
4.	बढ़ाच	ननखड़ी	शिमला	2013-14	15 to 90	13.41
5.	मनीकर्ण	कुल्लू	कुल्लू	2013-14	15 to 90	25.30
6.	रैला	कुल्लू	कुल्लू	2013-14	15 to 90	8.38
7.	कसौली	धर्मपुर	सोलन	2011-14	15 to 78	2.01
8.	फरनोल	हमीरपुर	हमीरपुर	2013-14	15 to 90	9.64
9.	रोपा	हमीरपुर	हमीरपुर	2013-14	15 to 90	5.42
10.	बिझड़ी	बिझड़ी	हमीरपुर	2013-14	15 to 90	17.86
11.	बल्याह	बिझड़ी	हमीरपुर	2013-14	15 to 30	4.21
12.	सिद्धवाड़ी	धर्मशाला	कांगड़ा	2013-14	02 to 14	7.25
13.	जोगीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	2013-14	15 to 90	27.47
14.	लिप्पा	पूह	किन्नौर	2013-14	100 to160	1.47
योग						**156.08**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-10

(संदर्भ परिच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 16)

शहरी स्थानीय निकायों को संस्वीकृत पद तथा पदासीन कर्मी

नगर निगम

नगर निगम	संस्वीकृत पद	भरे गए पद				आधिक्य (+)	कमी (-)
		नियमित आधार पर	दैनिक भाड़े पर	संविदा पर	कुल		
नगर निगम शिमला	856	640	6	3	649	--	207
योग	**856**	**640**	**6**	**3**	**649**	**--**	**207**

नगर परिषदों का नाम	संस्वीकृत पद	भरे गए पद				आधिक्य (+)	कमी (-)
		नियमित आधार पर	दैनिक भाड़े पर	संविदा पर	कुल		
बद्दी	18	7	0	2	9	-	-9
बिलासपुर	70	47	1	1	49	-	-21
चम्बा	100	72	14	0	86	-	-14
डल्हौजी	87	64	1	0	65	-	-22
धर्मशाला	161	138	5	3	146	-	-15
घुमारवीं	25	21	0	1	22	-	-3
हमीरपुर	76	49	3	3	55	-	-21
कांगड़ा	56	31	5	1	37	-	-19
कुल्लू	157	97	15	0	112	-	-45
मनाली	62	57	0	0	57	-	-5
मण्डी	164	93	1	2	96	-	-68
नगरोटा	41	29	3	1	33	-	-8
नाहन	184	121	27	4	152	-	-32
नैनादेवी	16	6	0	2	8	-	-8
नालागढ़	61	37	0	1	38	-	-23
नूरपुर	39	23	0	2	25	-	-14
पालमपुर	43	28	0	1	29	-	-14
पांवटा साहब	53	38	2	1	41	-	-12
परवाणू	42	36	0	0	36	-	-6
रामपुर	50	33	2	0	35	-	-15
रोहडू	22	15	1	1	17	-	-5
सोलन	219	186	9	1	196	-	-23
सुन्दरनगर	96	70	1	2	73	-	-23
ठियोग	24	11	2	1	14	-	-10
ऊना	68	42	1	0	43	-	-25
देहरा	37	20	0	0	20	-	-17
ज्वालामुखी	58	39	1	0	40	-	-18
संतोखगढ़	20	13	0	0	13	-	-7
सुजानपुर	30	24	1	2	27	-	-3
योग	**2079**	**1447**	**95**	**32**	**1574**	**-**	**-505**

नगर पंचायतें

नाम	संस्वीकृत पद	नियमित आधार पर भरे गए पद	दैनिक भाड़े पर	संविदा पर	कुल	आधिक्य (+)	कमी (-)
अर्की	25	13	1	2	16	-	-9
बंजार	20	6	0	0	6	-	-14
भोटा	19	5	0	0	5	-	-14
भुंतर	23	16	0	0	16	-	-7
चौपाल	18	3	0	0	3	-	-15
चुवाड़ी	18	9	10	1	20	-	-
दौलतपुर	18	8	0	2	10	-	-8
गगरेट	20	6	0	0	6	-	-14
जोगिन्द्रनगर	31	24	13	2	39	-	-
जुब्बल	18	4	1	3	8	-	-10
कोटखाई	18	4	1	0	5	-	-13
मेहतपुर	19	17	4	1	22	-	-
नादौन	32	25	2	0	27	-	-5
नारकण्डा	18	7	0	0	7	-	-11
राजगढ़	18	5	0	0	5	-	-13
रिवाल्सर	20	8	7	0	15	-	-5
सरकाघाट	19	15	0	1	16	-	-3
सुन्नी	18	7	0	0	7	-	-11
तलाई	18	12	3	0	15	-	-3
करसोग	5	0	0	0	0	-	-5
योग	**395**	**194**	**42**	**12**	**248**	**-**	**-160**
सकल योग	**3330**	**2281**	**143**	**47**	**247**	**-**	**-872**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-11

(संदर्भ परिच्छेद 3.7.3; पृष्ठ 19)

वर्ष 2011-12 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
नगर निगम				
1.	शिमला	69.49	65.62	3.87
नगर परिषदें				
1.	ठियोग	244.19	75.07	169.12
2.	डल्हौजी	219.82	229.59	-9.77
3.	घुमारवीं	289.78	122.02	167.76
4.	परवाणू	566.50	418.12	148.38
5.	धर्मशाला	609.34	716.02	-106.68
6.	बद्दी	-	-	-
	योग	**1929.63**	**1560.82**	**368.81**
नगर पंचायत				
1.	चुवाड़ी	79.25	70.58	8.67
2.	भुंतर	84.00	110.11	-26.11
3.	जुब्बल	0.63	0.63	0
4.	अर्की	-	-	-
5.	भोटा	70.67	33.07	37.60
6.	गगरेट	145.59	103.19	42.40
7.	चौपाल	0.39	0.39	0
	योग	**380.53**	**317.97**	**62.56**
	सकल योग	**2379.65**	**1944.41**	**435.24**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

वर्ष 2012-13 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
नगर निगम				
1.	शिमला	110.83	71.33	39.50
नगर परिषदें				
1.	ठियोग	277.63	128.22	149.41
2.	डल्हौजी	399.68	320.45	79.23
3.	घुमारवीं	316.85	139.11	177.74
4.	परवाणू	531.70	766.79	-235.09
5.	धर्मशाला	744.67	603.45	141.22
6.	बद्दी	303.50	364.41	-60.91
	योग	**2574.03**	**2322.43**	**251.60**
नगर पंचायत				
1.	चुवाड़ी	77.98	87.42	-9.44
2.	भुंतर	96.50	103.95	-7.45
3.	जुब्बल	0.31	0.31	0
4.	अर्की	157.16	72.71	84.45
5.	भोटा	85.87	58.71	27.16
6.	गगरेट	153.92	69.67	84.25
7.	चौपाल	0.30	0.23	0.07
	योग	**572.04**	**393.00**	**179.04**
	सकल योग	**3256.90**	**2786.76**	**470.14**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

वर्ष 2013-14 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों एवं वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
नगर निगम				
1.	शिमला	184.73	76.82	107.91
नगर परिषदें				
1.	ठियोग	259.38	128.30	131.08
2.	डल्हौजी	274.43	332.72	-58.29
3.	घुमारवीं	366.00	159.29	206.71
4.	परवाणू	623.50	692.62	-69.12
5.	धर्मशाला	184.33	102.15	82.18
6.	बद्दी	380.63	295.64	84.99
	योग	**2088.27**	**1710.72**	**377.55**
नगर पंचायत				
1.	चुवाड़ी	77.05	93.59	-16.54
2.	भुंतर	120.00	116.52	3.48
3.	जुब्बल	0.36	0.36	0
4.	अर्की	157.64	96.58	61.06
5.	भोटा	64.97	34.04	30.93
6.	गगरेट	202.07	114.00	88.07
7.	चौपाल	0.38	0.29	0.09
	योग	**622.47**	**455.38**	**167.09**
	सकल योग	**2895.47**	**2242.92**	**652.55**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-12

(संदर्भ परिच्छेद 3.7.4; पृष्ठ 20)

शहरी स्थानीय निकायों में बैंक पासबुक के साथ रोकड़ बही के अंतर का मिलान न होना

1. रोकड़ बही से बैंक पासबुक में कम शेष दर्शाने वाले मामलों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख)

क्रमांक	नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम	31 मार्च 2014 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	31 मार्च 2014 को पास बुक के अनुसार शेष	अंतर
नगर परिषद				
1.	ठियोग	139.39	13.83	125.5
2.	धर्मशाला	90.74	83.56	7.18
	योग	**230.13**	**97.39**	**132.7**
नगर पंचायत				
1.	भोटा	30.94	29.82	1.12
2.	चौपाल	55.33	54.44	0.89
	योग	**86.27**	**84.26**	**2.01**

2. बैंक पासबुक से रोकड़ बही में कम शेष दर्शाने वाले मामलों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख)

क्रमांक	नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम	31 मार्च 2014 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	31 मार्च 2014 को पास बुक के अनुसार शेष	अंतर
नगर पंचायत				
1.	अर्की	61.06	70.49	9.43
	योग	**61.06**	**70.49**	**9.43**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक के अंतर का सार

(₹ लाख)

क्रमांक	इकाई	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही तथा पास बुक में अंतर
1.	नगर परिषद	2	132.74
2.	नगर पंचायत	3	11.44
सकल योग		**5**	**144.18**

परिशिष्ट-13

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.1; पृष्ठ 21)

बकाया गृह कर

(₹ लाख)

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	अप्रैल 2013 को अथशेष	2013-14 के दौरान मांग	कुल मांग	2013-14 के दौरान संग्रहण	मार्च 2014 तक बकाया राशि
1.	ठियोग	83.36	13.08	96.44	13.16	83.28
2.	डल्हौजी	61.96	32.21	94.17	11.68	82.49
3.	घुमारवीं	56.10	15.48	71.58	18.72	52.86
4.	धर्मशाला	77.78	135.24	213.02	146.38	66.64
5.	परवाणू	70.86	186.54	257.40	232.05	25.35
	योग	**350.06**	**382.55**	**732.61**	**421.99**	**310.62**
नगर पंचायतें						
1.	भोटा	12.13	1.73	13.86	2.56	11.3
2.	अर्की	35.35	8.38	43.73	7.69	36.04
3.	जुब्बल	8.92	1.82	10.74	0.87	9.87
4.	चौपाल	23.65	2.51	26.16	0.72	25.44
5.	चुवाड़ी	2.97	1.06	4.03	1.73	2.30
6.	भुंतर	1.17	15.42	16.59	8.00	8.59
	योग	**84.19**	**30.92**	**115.11**	**21.57**	**93.54**
	सकल योग	**434.25**	**413.47**	**847.72**	**443.56**	**404.16**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-14

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.2; पृष्ठ 21)

दुकानों/बूथों/स्टॉलों के किराये की वसूली न किया जाना

(₹ लाख)

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	1 अप्रैल 2013 को अथशेष	2013-14 के दौरान मांग	कुल	संग्रहण	31.03.2014 तक बकाया राशि
	नगर परिषदें					
1.	बद्दी	11.47	6.74	18.21	3.28	14.93
2.	परवाणू	2.26	1.86	4.12	1.32	2.8
3.	धर्मशाला	9.39	37.49	46.88	29.91	16.97
4.	डल्हौजी	33.42	13.51	46.93	6.11	40.82
5.	ठियोग	25.33	10.70	36.03	9.92	26.11
6.	घुमारवीं	4.61	2.14	6.75	2.93	3.82
	योग	**86.48**	**72.44**	**158.92**	**53.47**	**105.45**
	नगर पंचायतें					
1.	भुंतर	37.64	1.62	39.26	9.00	30.26
2.	चुवाड़ी	4.67	2.26	6.93	2.63	4.3
3.	जुब्बल	14.17	4.51	18.68	2.53	16.15
4.	चौपाल	15.38	2.63	18.01	1.36	16.65
5.	गगरेट	5.97	6.09	12.06	5.59	6.47
6.	भोटा	3.11	1.28	4.39	1.20	3.19
7.	अर्की	2.16	3.58	5.74	2.58	3.16
	योग	**83.10**	**21.97**	**105.07**	**24.89**	**80.18**
	सकल योग	**169.58**	**94.41**	**263.99**	**78.36**	**185.63**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2015
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in